

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 03 (Part-1)

इक्तेदारी व्यवस्था

इक्तेदारी व्यवस्था का इतिहास:-

इक्ता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूली आसानी से न हो, सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाने लगी। ये इक्तायें सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवा करने के बदले में प्रदान की जाती थी।

इस प्रकार तुर्की के सुल्तानों ने इक्तायें बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया तथा नियमित रूप से राजस्व भी वसूला दूसरी तरफ संबंधित अधिकारी को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला, जहां वह सुल्तान के नाम से शासन किया करता था किन्तु उसे सिक्के चलाने का अधिकार प्राप्त नहीं था।



सुल्तान इल्तुतमिश
(1210 ई.-1236 ई.)

:: नोट ::

- भारत में इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत सुल्तान "इल्तुतमिश" ने की थी।
- प्रारंभ में इक्तेदार का पद हस्तांतरणीय था। फिरोजशाह तुगलक ने अपने शासनकाल में इक्तेदार का पद वंशानुगत कर दिया।
- इक्ता प्रथा/इक्तेदारी व्यवस्था का अंत अलउद्दीन खिलजी ने किया।

इक्ता का अर्थ:-

इक्ता अर्थात् वह भूखंड जिससे आने वाला भू-राजस्व किसी अधिकारी अथवा सैनिक का वेतन होता था। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने वाले को "इक्तेदार" कहा जाता था, जो नगद वेतन न लेकर भूमि का कुछ भाग लेते थे। इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें दो कार्य निहित थे पहला तो भू-राजस्व एकत्रित करना तथा दूसरा उस एकत्रित भू-राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों में वितरित करना।

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इक्तेदार, प्रदान किये गए क्षेत्र से भू-राजस्व एकत्रित करने वाला तथा अपनी सेना को वेतन देने वाला अधिकारी था, जिसका वह सेना प्रमुख भी होता था।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 03 (Part-1)

मनसबदारी व्यवस्था

"मनसब" फारसी भाषा का शब्द है, इस शब्द का अर्थ पद/दर्जा/ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था, उस व्यक्ति को "मनसबदार" कहा जाता था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मुगल बादशाह "जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर" ने किया तथा मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर अपनी सेना को संगठित किया। मनसबदारी व्यवस्था सेना को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत मनसबदार अपनी-अपनी श्रेणी/पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखते थे तथा सम्राट से प्रति माह नकद वेतन प्राप्त करते थे।

मनसबदारी व्यवस्था "जात" एवं "सवार" दो भागों में विभाजित थी। "जात" का अर्थ व्यक्तिगत ओहदा/पद तथा "सवार" का अर्थ घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से है जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने की अनुमति प्राप्त थी। अकबर के काल में सबसे छोटे मनसबदार को "10" तथा सबसे बड़े मनसबदार को "10000" घुड़सवार सैनिक रखने के अधिकार प्राप्त थे, जिसे बाद के समय में और बढ़ाया गया। बड़े मनसब प्रायः राजकुमारों को ही दिए जाते थे।

मनसबदार को "जात" के अनुसार ही "सवार" रखने होते थे।

मनसबदार के कार्य-

मनसबदार सैनिक अभियानों में भेजे जा सकते थे। उन्हें विद्रोह रोकने, नए प्रदेश जीतने, अपने पद से संबंधित व समय-समय पर सौंपे गए गैर-सैनिक अथवा प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते थे।

नोट

मनसबदारी व्यवस्था, मंगोल आक्रमणकर्ता चंगेज खाँ के दशमलव पद्धति पर आधारित सैन्य व्यवस्था से प्रेरित मानी जाती है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   

इतिहास का काल विभाजन

इतिहास के काल को 3-वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

प्रागैतिहासिक काल



लिखित इतिहास के पहले के कालखण्ड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल खण्ड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। इस काल का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। (पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है।)

आद्य-ऐतिहासिक काल



ऐतिहासिक काल से पहले का वह काल खण्ड जहां लोगों को लिपि व अक्षर का ज्ञान तो था, किन्तु आज वर्तमान समय में भी उनकी लिपि अथवा भाषा को अबतक पढ़ा व समझा नहीं जा सका है उस काल खण्ड को आद्य-ऐतिहासिक काल कहा जाता है। (सिन्धु घाटी की सभ्यता को आद्य-ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है।)

ऐतिहासिक काल



इतिहास का वह काल खण्ड जिससे संबंधित लिखित सामग्री की प्राप्ति होती है एवं उसे पढ़ा जा सका है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। (भारत के संदर्भ में महाजनपद काल से अब तक के कालखण्ड को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है।)

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

